राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक :–   दिनांक :–

आदेश

राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 10 में उपलब्ध प्रावधान **"रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपने आपको इस बात से संतुष्ट करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों का तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों का उचित पालन किया जा रहा है या नहीं, किसी भी गौशाला या ऐसी गौशाला से संबद्ध किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा उसका निरीक्षण कर सकेगा"** के तहत प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को **"सहायक रजिस्ट्रार"** घोषित करते हुए पंजीकृत गौशालाओं के सामयिक निरीक्षण करने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी जिसे सहायक रजिस्ट्रार गौशाला घोषित किया गया है	अधिकृत सहायक रजिस्ट्रार गौशाला का कार्यक्षेत्र
1.	संयुक्त निदेशक, प्लान, निदेशालय गोपालन	सम्पूर्ण राजस्थान
2.	संयुक्त निदेशक, मूल्य संवर्धन, निदेशालय गोपालन	सम्पूर्ण राजस्थान
3.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अजमेर	जिला अजमेर
4.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भीलवाडा	जिला भीलवाडा
5.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर	पपावि द्वारा आवंटित नागौर क्षेत्र
6.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, टोंक	जिला टोंक
7.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बीकानेर	जिला बीकानेर
8.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चूरू	जिला चूरू
9.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर	जिला श्रीगंगानगर
10.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ
11.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बाडमेर	जिला बाडमेर
12.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर	जिला जैसलमेर
13.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जालौर	जिला जालौर
14.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली	जिला पाली
15.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिरोही	जिला सिरोही
16.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर	जिला जोधपुर
17.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	जिला जयपुर
18.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, दौसा	जिला दौसा
19.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अलवर	जिला अलवर
20.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुन्झुनूं	जिला झुन्झुनूं
21.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर	जिला सीकर
22.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, कोटा	जिला कोटा
23.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बारां	जिला बारां
24.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बूंदी	जिला बूंदी
25.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झालावाड	जिला झालावाड
26.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उदयपुर	जिला उदयपुर
27.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौडगढ़	जिला चित्तौडगढ़
28.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर
29.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बांसवाडा	जिला बांसवाडा
30.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, प्रतापगढ़	जिला प्रतापगढ
31.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजसमन्द	जिला राजसमन्द
32.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर	जिला भरतपुर
33.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, धौलपुर	जिला धौलपुर
34.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, करौली	जिला करौली

लगातार............2

35.	जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सवाई माधोपुर	जिला सवाई माधोपुर
36.	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी	पपावि द्वारा आवंटित कुचामनसिटी क्षेत्र

उपरोक्त सहायक रजिस्ट्रार, गौशाला अपने कार्यक्षेत्र में राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 (पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in एवं निदेशालय गोपालन की वेबसाइट www.rajgauseva.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध) के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों की उचित पालना कराने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :–

1. सहायक रजिस्ट्रार, गौशाला स्वयं अथवा उनके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से वर्ष में न्यूनतम एक बार अपने कार्यक्षेत्र की प्रत्येक पंजीकृत गौशाला का विस्तृत निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) रजिस्ट्रार गौशाला, निदेशालय गोपालन, पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015 के पते पर डाक से अथवा ई–मेल (dir.dgs@rajasthan.gov.in) द्वारा प्रेषित करेंगे।
2. अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से कराये गये निरीक्षण की स्थिति में सहायक रजिस्ट्रार, गौशाला (जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, कुचामनसिटी) निरीक्षण प्रतिवेदन को भली–भांति जांच कर उस पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
3. उपरोक्त निरीक्षण हेतु जिले में पंजीकृत गौशालाओं की संख्या के अनुसार इस प्रकार कार्यक्रम बनाया जावे कि वर्षभर में प्रत्येक गौशाला का न्यूनतम एक बार विस्तृत निरीक्षण पूर्ण हो सके।
4. गौशाला के निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रबन्धन, सफाई व्यवस्था, चारा–पानी एवं पशुआहार की व्यवस्था, पशुस्वास्थ्य (टीकाकरण, डीवर्मिंग, उपचार, बधियाकरण), आदि बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावे तथा इस सम्बन्ध में गौशाला प्रबन्धन को आवश्यक सुझाव/तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराया जावे।
5. गौशाला में अतिआवश्यक अभिलेख यथा परिसम्पत्ति पंजिका, पशुधन विवरण पंजिका, कैश बुक, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, चारा/पशुआहार भण्डार/खपत पंजिका, निरीक्षण पंजिका, उपचार पंजिका इत्यादि का संधारण एवं उनका अद्यतन सुनिश्चित किया जावें।
6. गौशाला को स्वावलम्बी बनाने हेतु पंचगव्य उत्पादों से बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट, गौमूत्र अर्क, अगरबत्ती तथा अन्य सामग्री के उत्पादन एवं विक्रय हेतु प्रेरित किया जावे तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पशुपालन, गोपालन, कृषि तथा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी प्रेरित किया जावे।
7. गौशाला में हरा चारा, अजौला पूरक चारा, उन्नत बीज उत्पादन इत्यादि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जावे।

उक्त आदेश शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन की स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

संलग्न :– गौशाला निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप (3 पृष्ठ)।

Sd-
शासन उप सचिव

क्रमांक :– एफ.3( ) निगो/गोपंनसु/रा.गो.अधि./2016/314-57 PA — दिनांक :–27-05-2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, गोपालन एवं देवस्थान विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राज. जयपुर।
4. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, पशुपालन/गोपालन विभाग, राज. जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर।
7. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
8. रजिस्ट्रार गौशाला (संयुक्त निदेशक, गौशाला पंजीयन एवं नस्ल सुधार), निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, प्लान/मूल्य संवर्धन, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर।
10. समस्त जिला संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी, राजस्थान।

शासन उप सचिव